अनुलग्नक

प्रकटीकरण आवश्यकताएं

1. प्रत्येक सीआईसी एक कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रखेगा जिसमें इसके बारे में और उसके समूह के बारे में आधारभूत जानकारी होगी। इसमें निम्नलिख्त भी शामिल होना चाहिए:
   a) सीआईसी की वार्षिक रिपोर्ट
   b) कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट
   c) अन्य बातों के साथ-साथ उद्योग संरचना और विकास, जोखिम और समूह के लिए चिंताएं और आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता को शामिल करते हुए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण
   d) अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, यदि कोई हो

2. सीएफएस में समेकित नहीं किए गए समूह की संस्थाओं के संबंध में सीआईसी द्वारा निम्नलिखित का प्रकटन किया जाएगा:
   a) इकाई का नाम, व्यापार का प्रकार, उसकी आस्तियों का आकार, ऋण-इक्विटी अनुपात, और पिछले दो वर्षों के लिए लाभप्रदता
   b) प्रत्येक इकाई पर जोखिम की प्रकृति और प्रकार: i) इक्विटी में निवेश ii) परिवर्तनीय लिखतों में निवेश, iii) बांड/डिबेंचर/अन्य उपकरणों में निवेश, iv) ऋण और अग्रिम, v) अन्य कोई
   c) गैर-वित्तीय व्यवसाय (इकाई-वार) के प्रति सीआईसी का कुल एक्सपोजर
   d) फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं
   e) सीआईसी के ऋणी द्वारा मूल कंपनी और समूह कंपनियों के शेयरों में निवेश

3. **वार्षिक वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटन:**

3.1 **एएनडब्ल्यू और अन्य संबंधित जानकारी के घटक**

			(राशि रुपए करोड़ में)
	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i)	जोखिम भारित आस्तियों के % के रूप में एएनडबल्यू		
ii)	उदधृत निवेश के बही मूल्य में अप्राप्त लाभ		
iii)	उदधृत निवेशों के कुल बही मूल्य में कमी		
iii)	लीवरेज अनुपात		

3.2 **अन्य सीआईसी में निवेश**

   a) किसी सीआईसी द्वारा दूसरे सीआईसी में किए गए किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी योगदान का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल राशि (सीआईसी का नाम सहित)

b) नाम सहित ऐसे सीआईसी की संख्या जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी योगदान स्वाधिकृत निधि के 10% से अधिक है

c) नाम सहित ऐसे सीआईसी की संख्या जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी योगदान स्वाधिकृत निधि के 10% से कम है

3.3 **तुलन पत्रेतर एक्सपोजर**

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
i)	तुलन पत्रेतर एक्सपोजर		
ii)	कुल तुलन पत्रेतर एक्सपोजर का % के रूप में वित्तीय गारंटी		
iii)	कुल तुलन पत्रेतर एक्सपोजर का % के रूप में गैर-वित्तीय गारंटी		
iv)	विदेशी सहायक कंपनियों का तुलन पत्रेतर एक्सपोजर		
v)	किसी सहायक कंपनी को जारी चुकौती आश्वाशन पत्र		

3.4 **निवेश**

(राशि रुपए करोड़ में)

			विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	निवेश का मूल्य				
	(i)	निवेश का सकल मूल्य			
		(a)	भारत में		
		(b)	भारत से बाहर,		
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(a)	भारत में		
		(b)	भारत से बाहर,		
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य			
		(a)	भारत में		
		(b)	भारत से बाहर,		
(2)	निवेश पर अवमूल्यन के कारण प्रावधानों में उतार-चढ़ाव				
	(i)	आरंभिक शेष			
	(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान			
	(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों के खाता से हटाने/वापस दर्ज करने पर			
	(iv)	क्लोजिंग बैलेंस			

3.5 **एएलएम- आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न**

	1 से 7 दिन	**8 से 14 दिन**	**15 दिन से 30 /31 दिन**	**1 माह से अधिक से 2 माह तक**	**2 माह से अधिक से 3 माह तक**	**3 माह से अधिक से 6 माह तक**	**6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक**	**1 वर्ष से अधिक से 3 वर्ष तक**	**3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
अग्रिम											
निवेश											
उधार											
विदेशी मुद्रा आस्तियां											
विदेशी मुद्रा देयताएँ											

3.6 **व्यापार अनुपात**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
इक्विटी पर आय (आरओआई)		
आस्तियों पर आय (आरओए) प्रति कर्मचारी निवल लाभ		

3.7 **प्रावधान और आकस्मिकताएं**

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा:

(राशि रुपए करोड़ में)		
लाभ और हानि खाते के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विस्तृत विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर अवमूल्यन के लिए प्रावधान		
एनपीए के लिए प्रावधान		
आयकर के लिए किया गया प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण सहित)		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		

3.8 **एनपीए का संकेन्द्रण**

	(राशि रुपए करोड़)	एक्सपोजर कुल आस्तियों के % में
शीर्ष पाँच खातों का कुल एनपीए		

3.9 **विदेशी संपत्ति (विदेशों में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के साथ वालों के लिए)**

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य साझेदार	देश	कुल आस्तियां

4. **विविध प्रकटन**

a) वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों से किसी भी नाम से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार,

b) भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट या अन्य प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर सख्ती या निर्देश सहित लगाया गया दंड।

c) यदि लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट या किसी पिछले वित्तीय वर्ष या तिमाही के वित्तीय परिणामों के संबंध में सीमित समीक्षा रिपोर्ट में कोई संशोधित राय (अनेक राय) या अन्य परिरक्षण (अनेक परिरक्ष) व्यक्त किया है, जिसका रिपोर्ट करने वाली अवधि के लाभ या हानि पर प्रभाव पड़ता है, तो निम्नलिखित टिप्पण सहित विवरण -

(i) संशोधित राय (ओं) या अन्य परिरक्षण (अनेक परिरक्षणों) का समाधान कैसे किया गया है; या

(ii) यदि इसका समाधान नहीं किया गया है, तो उसका कारण और सीआईसी इस मामले में क्या कदम उठाना चाहते हैं।

****